न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या –12/2020 (अपील)

GCMS No. 2020/00129

मुनव्वर अली पुत्र मन्सूर अली, निवासी मकान नं. 8–डी–40, विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा जिला कोटा (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी , कलेक्ट्रेट कोटा

–अप्रार्थी

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 15.12.2017 जिला रसद अधिकारी, कोटा, अन्तर्गत राजस्थान खाद्यन्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

निर्णय

दिनांक– 08.10.2020

1. संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी कोटा द्वारा अपने आदेश कमांक/रसद/एफपीएस/2017/287 दिनांक 15.12.2017 से अपीलांट श्री मुनव्वर अली उचित मूल्य दुकानदार संख्या 778/12 विज्ञान नगर विस्तार योजना, कोटा का लाईसेंस निरस्त किया गया है ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.08.2020 को पेश कर कथन किया है कि प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 के आधार पर अपीलांट प्रार्थी के द्वारा उचित मूल्य दुकान सं0 778/12 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया, जिसके आधार पर राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक वितरण के विनियमन आदेश की अवहेलना श्रेणी में माना जाना कतई उचित नहीं है जबकि किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए आदेश निरस्तनीय है । अपीलांट की दुकान उचित मूल्य की दुकान अस्थायी तौर से मैसर्स चांदमल जैन उचित मूल्य की दुकान संख्या 143 को पोस मशीन द्वारा खाद्यान्न वितरण हेतु अटेच किया जाना इसलिए उचित नहीं है कि न तो अपीलांट प्रार्थी को इससे पूर्व कोई सूचना दी ताकि वह स्पष्टीकरण दे सकें न हीं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सार्वभौमिक सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत है । रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश से अपीलांट प्रार्थी की आर्थिक स्थिति विभिन्न हो गयी क्योंकि उसकी प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली गयी इसलिए मानसिक आघात पहूँचा उसमें ऐसी परिस्थितियों में अनचाहे लाईसेंस सरेण्डर करने का आवेदन कर दिया तो रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट प्रार्थी का

प्राधिकार निरस्त कर दिया जबकि आस पास के व्यक्ति उसके पास राशन सामग्री लेने आते है, क्योंकि पास में कोई उचित मूल्य की दुकान नहीं है । अतः ऐसी स्थिति में प्राधिकार बहाल किया जावें प्रार्थी परिवार का पालन पोषण कोविड–19 की विषम परिस्थितियों में कर सकें । अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट प्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान का प्राधिकार पत्र संख्या 778/2012 बहाल किये जाने का निर्णय प्रदान करें ।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । पेरोकार रसद व वकील अपीलांट उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलांट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि प्रवर्तन निरीक्षक रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 के आधार पर अपीलांट प्रार्थी के द्वारा उचित मूल्य दुकान सं0 778/12 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा द्वारा दिनांक 31.12.2016 तक खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया, जिसके आधार पर राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक वितरण के विनियमन आदेश की अवहेलना श्रेणी में माना जाना कतई उचित नहीं है जबकि किसी भी उपभोक्ता की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए आदेश निरस्तनीय है । अपीलांट की उचित मूल्य की दुकान अस्थायी तौर से मैसर्स चांदमल जैन उचित मूल्य की दुकान संख्या 143 के साथ खाद्यान्न वितरण हेतु अटेच किया जाना इसलिए उचित नहीं है कि न तो अपीलांट प्रार्थी को इससे पूर्व कोई सूचना दी ताकि वह स्पष्टीकरण दे सकें न हीं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया जो प्राकृतिक न्याय के सार्वभौमिक सिद्वान्तों के सर्वथा विपरीत है । रेस्पोडेन्ट अप्रार्थी द्वारा पारित आदेश से अपीलांट प्रार्थी की आर्थिक स्थिति विभिन्न हो गयी क्योंकि उसकी प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली गयी इसलिए मानसिक आघात पहूँचा उसमें ऐसी परिस्थितियों में अनचाहे लाईसेंस सरेण्डर करने का आवेदन कर दिया तो रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट प्रार्थी का प्राधिकार निरस्त कर दिया जबकि आस पास के व्यक्ति उसके पास राशन सामग्री लेने आते है, क्योंकि पास में कोई उचित मूल्य की दुकान नहीं है । अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्राधिकार पत्र संख्या 778/2012 बहाल किये जाने का निर्णय प्रदान करें ।

5. पेरोकार रसद द्वारा अपने जवाब एवं बहस में कथन किया कि श्री मुनव्वर अली पुत्र श्री मंसूर अली को कार्यालय द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 778/2012 जारी किया गया था । कार्यालय द्वारा श्री मुनव्वर अली को वितरण कार्य हेतु पोस मशीन संख्या 17292 आवंटित की गई थी । श्री मुनव्वर अली के द्वारा दिनांक 27.7.2017 को उचित मूल्य दुकान के संचालन में असमर्थता जताते हुए स्वेच्छा से त्याग पत्र प्रस्तुत किया था । श्री मुनव्वर अली द्वारा त्याग पत्र प्रस्तुत करने पर तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय के आदेश कमांक/रसद/एफ पी एस/2017/ 287 दिनांक 15.12.2017 द्वारा श्री मुनव्वर अली पुत्र मंसूर अली को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया गया था ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय जिला रसद अधिकारी द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र उचित मूल्य दुकानदार दुकान संख्या 778/2012 को

इस आधार पर निरस्त किया गया था कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा स्वेच्छा से त्यागपत्र प्रस्तुत कर उचित मूल्य दुकान चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की जाने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवष्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेष 1976 के तहत समस्त जमा प्रतिभूति राषि जब्त कर जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया ।

7. अपीलांट का मुख्यरूप से कथन है कि प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट दिनांक 11.01.2017 के आधार पर अपीलांट प्रार्थी के द्वारा उचित मूल्य दुकान सं0 778/12 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा ने दिनांक 31.12.2016 तक खाद्यान्न वितरण नहीं किया जाना बताया, जिसके आधार पर राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक वितरण के विनियमन आदेश की अवहेलना श्रेणी में माना जाकर अन्य दुकान के साथ अटेच करना कतई उचित नहीं है । जबकि हमने आदेश दिनांक 13.1.2017 का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि मैसर्स मुनव्वर अली उचित मूल्य दुकानदार द्वारा वक्त निरीक्षण दिनांक 11.1.2017 पोस मशीन से खाद्यान्न का वितरण दिनांक 31.12.2016 तक भी नहीं किया जाना, तीन माह तक केरोसीन का उठाव व वितरण नहीं किये जाने, गेहूं का आवंटन होने उपरान्त भी गेहूं का उठाव नहीं किये जाने से राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक वितरण के विनियमन आदेश की अवहेलना की श्रेणी में मानते हुए मैसर्स मुनव्वर अली दुकान सं0 778/12 के उपभोक्ताओं को मैसर्स चांदमल जैन उचित मूल्य दुकान सं0 143 के साथ खाद्यान्न वितरण हेतु अटेच किया गया था, तत्पश्चात अपीलांट द्वारा स्वयं त्यागपत्र दिया जाने से आदेश दिनांक 15.12.2017 को अपीलांट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है । जिसमें हम कोई त्रुटि नहीं पाते है ।

8. **अतः** अपील अपीलांट आधारहीन होने से खारिज की जाती है, किन्तु अपीलांट के प्रति सहानुभूति रखते हुए जिला रसद अधिकारी को आदेशित किया जाता है कि यदि भविष्य में दुकानों का आवंटन किया जाता है तथा अपीलांट राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवष्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) नियमों व शर्तो की पालना हेतु सहमत एवं सक्षम होने की स्थिति में अपीलांट का प्रकरण कमेटी के समक्ष विचारार्थ रखा जावें । **निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी कोटा को पालनार्थ भेजी जावें ।**

9. निर्णय आज दिनांक 08.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/10/20

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला कलेक्टर, कोटा